उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-4
संख्या-226/2019/1478/35-4-2019
लखनऊः दिनांकः 06 सितम्बर]2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषयः- वित्तीय वर्ष 2008-14 की अवधि में केन्द्रीय योजना ''बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर लोकल लेविल डेवलपमेंट'' (बीएसएलएलडी) के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष अनुपयोजित रू0 880/- की धनराशि भारत सरकार को भुगतान किये जाने के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2008-14 की अवधि में केन्द्रीय योजना ''बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर लोकल लेविल डेवलपमेंट'' (बीएसएलएलडी) के लिए भारत सरकार के पत्र संख्या-एम-12012/30/2008-एसएसडी]दिनांक 14 मई] 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा स्वीकृत तथा प्रधान लेखाधिकारी]भारत सरकार के पत्र संख्या-जी-25020/ 3/ 2012-13/ सीएयू] दिनांक-29 मई] 2012(प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा धनराशि रू0 38]54]880/- रिजर्व बैंक आफ इण्डिया]नागपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई]जिसके सापेक्ष उपरोक्त योजना पर कुल रू0 38]54]000/ - (रू0 अड़तीस लाख चौव्वन हजार मात्र) की धनराशि व्यय की गई। इस प्रकार अवशेष रू0 880/ -(रू0 38]54]880 -रू0 38]54]000) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक]केन्द्रीय लेखा अनुभाग]नागपुर के माध्यम से भारत सरकार को किया जाना है।

2.अतः एतद्द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में ''बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर लोकल लेविल डेवलपमेंट'' (बीएसएलएलडी) योजनान्तर्गत वर्ष 2008-14 की अवधि में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष निष्प्रयोज्य रह गयी धनराशि रू0 880/ - (रू0 आठ सौ अस्सी मात्र) का भुगतान ''Inter Governmental Adjustment Advice'' के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक] केन्द्रीय लेखानुभाग]नागपुर के माध्यम से भारत सरकार को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक-''1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान-06-केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें-900-घटायें-वापसियों-01-वापसियों'' के नामें डाला जायेगा।

4.यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-5-1198/दस-2019]दिनांक 30 अगस्त] 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः226/2019/1478/35-4-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय,केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन(सामाजिक सांख्यिकीय अनुभाग), भारत सरकार,पश्चिम ब्लाक-8,विंग नं0-6,आर0के0 पुरम,नई दिल्ली-110066
2- प्रधान लेखाधिकारी, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, 227, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, दिल्ली-110001
3- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5- निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।